

1328

100Rs.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 496918



इष पंचिक
वैरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

(कुल स्थान इयुटी अंकन 100/- रुपये लाग्य)

OFFICE OF THE
CHIEF TREASURY OFFICER

9 JAN 2006

विक्रय विलेख

REFUSED

यह अंकन 100/-रुपये (एक सौ रुपये लाग्य) का स्थान
स्टाम्प श्री रोश चन्द्र पुत्र स्वा० श्री धर्मदास ५/० को
बिलसर्ट, 39/16, शिवाजी रोड, मेरठ के पक्ष में प्राधिकरण की
खापुरम आवासीय बौजबा के सेक्टर '1' में आवंटित
व्यवसायिक भूखण्ड सं० सी-२ के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत
स्थान अदा करते हुए जो मुहायदा बय दिनांक 30-7-2005
को वही । जिल्द 4513 के पृष्ठ 01-96 में क्रमांक 7452
असल/7453 मूसल्ला पर सब रजिस्ट्रार मेरठ के यहाँ
रजिस्ट्रीकृत है, के अनुक्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
द्वारा दिनांक 27.1.2006 को लिखादित विक्रय विलेख के
साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष।
इष पंचिक
वैरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

द्वितीय पक्ष।



100
रुपयां १०० रुपयां १०० रुपयां १००
रुपयां १०० रुपयां १०० रुपयां १००

15/1/06 - 15/1/06

→ 86083202

शुल्क 500 तेलवा शुल्क 20 योग 500
श्री/श्री जनि रुपया ५०० रुपया ५००
दिनांक ३१/१२/०६ तुला ४७ शुक्रवार
मेरा जनि ३१/१२/०६ रुपया ५००
दिनांक १५/१/०६ ५५ रुपया ५००
विषय वह प्रस्तुत किए

उप नियमित प्रयम-
15/1/06

जनि लिखा गया अब इसका कारण
आ... रुपया ५०० रुपया

दिनांक १५/१/०६


वालु १५८ उप नियम-

१५/१/०६

रुपया ५०० रुपया ५००

वालु १५८ रुपया ५००

नियम २५३/२ रुपया ५००



जनि लिखा गया अब इसका कारण

१५/१/०६

H Singh

W H Singh

W H Singh


Ramk

S. D.
15/1/06

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOTS AT RAKSHA -
PURAM SCHEME ON MEERUT MAWANA ROAD, MEERUT.

DETAILS OF PLOTS

AREA.	
C/1, C/2	1400.00 M ²
C/3, C/4, C/5, C/6	1000.00 M ²



NOTE - PLAN NOT TO SCALE.
ALL DIMENSIONS ARE
IN METRES.

TO MEERUT

TO MAWANA

JR. ENGR.

ASST. ENGR.

EX. ENGR.

MEERUT

DEVELOPMENT

AUTHORITY

4. यह कि द्वितीय पक्ष बाध्य होगा कि वह मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, मेरठ अथवा अन्य किसी संस्था की उर्तमान या भविष्य में प्रभावी सभी ऐसी उपविधियों, नियमों का पालन करेगा जो अचल सम्पत्ति के दखल के सम्बन्ध में प्रासंगिक हो अथवा उक्त स्थान के अन्य निवासियों, सुरक्षा पर प्रभाव डालते हों।
5. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अथवा प्राधिकरण/संस्था अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखांचित्र में अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल उक्त व्यवसायिक भूखण्ड पर तत् समय दुये निर्माण में न तो कोई परिवर्तन या परिवर्धन करेगा या किये जाने की अनुमति देगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की सहमति के बिना उक्त विक्रीत अचल सम्पत्ति का प्रयोग न तो किसी धार्मिक प्रयोजन या ऊपर वर्णित प्रयोजन के अतिरिक्त करेगा न ही किसी अन्य प्रयोजनार्थ करेगा या किसी अन्य को किये जाने की अनुमति देगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी दशा में व्यवसायिक भूखण्ड को न तो खण्डित करेगा और न ही प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना खण्डित करके उसका उपविभाजन करेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सदस्यों/अधिकारियों व अधीनस्थ कर्मचारियों को विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाले व्यवसायिक भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिससे कि निरीक्षण तथा उपरोक्त वर्णित आवश्यक कार्यों में कोई बाधा न हो।
9. यह कि द्वितीय पक्ष को विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड पर निवासन/कब्जा जो भी पहले हो के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर व्यवसायिक भवन का निर्माण करना होगा और उसे पूरा करना आवश्यक होगा। समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त निर्माण करने पर द्वितीय पक्ष को भूखण्ड के निवासित मूल्य का 2 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिवर्ष का अधिभार प्रथम पक्ष को अदा करना होगा और इस शर्त पर द्वितीय पक्ष को अधिकतम् पाँच वर्ष का समय प्रदान किया जा सकता है और द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार वह निर्माण न करने की दशा में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त होगा ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड का कब्जा प्रथम पक्ष को देने के लिये बाध्य होगा तथा प्रथम पक्ष का यह भी अधिकार होगा कि विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड की धनराशि को समस्त खर्च एवं देयों सहित द्वितीय पक्ष से सीधे अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।
10. यह कि द्वितीय पक्ष को क्रेता द्वारा या उनके माध्यम/अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तों के उल्लंघन करने के कारण व्यवसायिक भूखण्ड का नया विलेख स्वीकार करने के कारण कोई हानि वहन करनी पड़ती है तो ऐसी हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जा सकेगी।
11. यह कि विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड के अन्तिम मूल्य का गणक होने के पश्चात् सम्भावित मूल्य बढ़ने पर उस अन्तर की कितनी धनराशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जानी है, का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा तथा उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और द्वितीय पक्ष को छुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।
12. यह कि विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड के हस्तान्तरण विलेख तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी विलेख के निष्पादन एवं उसके निवासन के सम्बन्ध में होने वाले समस्त स्वाम्प शुल्क व निवासन शुल्क को द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

मेरठ विकास प्राधिकरण
द्वितीय पक्ष समिति
प्रमाणिक

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

योजना का नाम रक्षापुरम्, व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी-2, कुल क्षेत्रफल 1400.00 वर्ग मीटर जिसकी चारों दिशायें की नामें व सीमायें निम्नवत् हैं:-

उत्तर की ओर-	35.00 मीटर	उत्तर-	व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी-1
दक्षिण की ओर-	35.00 मीटर	दक्षिण-	24.00 मीटर चौड़ी सड़क
पूरब की ओर-	40.00 मीटर	पूरब-	60.00 मीटर चौड़ी सड़क
पश्चिम की ओर-	40.00 मीटर	पश्चिम-	व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी-3

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को इस विलेख पर सुनकर/समझकर/पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

मेरठ विकास प्राधिकरण से लिये एवं
उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी व प्राधिकरण
प्रथम पक्ष-विक्रेता
ग्रंथ

J. M. S.
आवंटी।
द्वितीय पक्ष-क्रेता।



साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर *R. J.*
 नाम
 पिता का नाम अतुल युता
 पता अमृतनगर न-५
 ३१/१६ द्विवारी रोड मेरठ
2. हस्ताक्षर *Vijay*
 नाम
 पिता का नाम परमेश्वरी विजय उपलिङ्ग
 पता R/o. २३३/२, डानगर मेरठ

प्राचीन राजस्थान की
विभिन्न लोकों की संस्कृति
में विभिन्न विषयों की विवरण
का एक अमृत विद्या।

लोकों की संस्कृति
के बारे में लिखा गया है।

द्वितीय भाग में विभिन्न
लोकों की संस्कृति का विवरण
की गई है।

7452/05
860 90 700- 860 833/-
860 833/-
100
860 800
860 940

लोकों की संस्कृति
के बारे में लिखा गया है।
लोकों की संस्कृति
के बारे में लिखा गया है।
लोकों की संस्कृति
के बारे में लिखा गया है।
लोकों की संस्कृति
के बारे में लिखा गया है।

Surf
14/208



7452/06
I - 4740
41
1328
Surf

58.1
14/208